हिमाचल प्रदेश सरकार
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ।

"निविदा"

लाहौल एवं पांगी घाटी के लिए वर्ष 2011–12 के लिए सार्वजनिक वितरण प्र[illegible]ी के अन्तर्गत खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं के सामान्य ढुलान एवं असामान्य परिस्थितियों में स्पिति घा[illegible] के लिए वाया रोहतांग व कुजंम पास तथा चम्बा से पांगी घाटी के लिये वाया साच पास ढुलान हेतू(बशर्ते कि रा[illegible] भारी व मध्यम वाहनों के लिये खुले हों) हेतू निविदाओं का आमन्त्रण किया जाता है ।

1. **पांगी उप–मण्डल एवं लाहौल उप–मण्डल:**

वर्ष 2011–2012 के लिये चम्बा जिला के पांगी उप–मण्डल एवं लाहौल एवं स्पिति [illegible]ला के लाहौल उप–मण्डल के निम्न वर्णित स्थानों से यथा वर्णित गन्तव्य स्थानों तक खाद्यान एवं अन्य आवश्यव[illegible] वस्तुओं तथा गन्दम, गन्दम आटा, चावल, लेवी चीनी,नमक, दालें, खाद्य तेल एवं किसी भी अन्य आवश्यक वस्तु ([illegible] बाद में दर्शाने योग्य पाई जाये) के ढुलान हेतु मोहर बन्द निविदायें आमन्त्रित की जाती हैं । यह निविदायें इस नोटि[illegible] के प्रकाशन के उपरान्त निदेशालय खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले ब्लाक नं0–42 एस0डी0ए0क[illegible]क्स कसुम्पटी शिमला–9 में **दिनाक 18–4–2011 को 2.00 बजे** सांय से पूर्व किसी भी कार्य दिवस पर इस आशय [illegible] रखे गये बक्से में डाले जा सकते हैं । यह बक्सा निदेशक एवं संयुक्त निदेशक खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक[illegible] मामले हि0 प्र0 के हस्ताक्षरों के साथ इस निविदा के प्रकाशन के रोज से सील कर दिया गया है । यह निविदायें [illegible]–4–2011 को **सांय 3.00 बजे** उपस्थित निविदाकर्ताओं के समक्ष निदेशक महोदय के आदेशानुसार गठित अधिकारि[illegible]की कमेटी द्वारा खोली जायेगी । परिवहन किये जाने वाले खाद्यान्नों एवं आवश्यक वस्तुओं की अनुमानित मात्रा की ज[illegible]कारी किसी भी कार्य दिवस पर ली जा सकती है ।

निविदाओं का विवरण :

क्रम संख्या	केन्द्र का नाम जहां से ढुलान किया जाना है ।	गन्तव्य स्थान
1.	भारतीय खाद्य निगम वितरक केन्द्र कारघा/राज्य नागरिक आपूर्ति निगम थोक वितरण केन्द्र कारघा ।	केलंग,उदयपुर,गैमूर,गौंदला, कुर[illegible] तिन्दी, मोरिंग ,चांगुट,सीसू सौर ,पूर्थी, साच, [illegible]ाहली, सेचू,रेई, कुमार परमार, किलाड़ तथा धरव[illegible] ।
(11)	भारतीय खाद्य निगम वितरक केन्द्र चम्बा/राज्य नागरिक आपूर्ति निगम थोक वितरक केन्द्र चम्बा (सडक उपलब्ध हो जाने की शर्त पर)	चम्बा से पांगी घाटी सौर, पू[illegible]ाच,साहली,सेचू, रेई,कुमार परमार, किलाड तथा [illegible]ास वाया साच पास।
2.	निगम वितरक केन्द्र कुल्लू/राज्य नागरिक आपूर्ति निगम थोक वितरण केन्द्र कुल्लू ।	कारघा, केलंग,उदयपुर,गैमूर, [illegible]दला, कुरछेड़, तिन्दी, मोरिंग, चांगुट, सीसू, [illegible]ौर पूर्थी,साच, साहली,सेचू, रेई, कुमार परम[illegible] किलाड़ तथा धरवास ।
3.	भारतीय खाद्य निगम वितरक केन्द्र मण्डी/सी0डब्ल्यू0सी0 गोदाम नेरचौक/ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम थोक वितरण केन्द्र लूणापानी/मण्डी ।	कारघा, केलंग, उदयपुर, गैमूर[illegible]ौंदला, कुरछेड, तिन्दी, मोरिंग, चांगुट, सीसू, [illegible]र, पूर्थी, साच, साहली, सेचू, रेई, कुमार पर[illegible] किलाड़ तथा धरवास ।
4.	टी0के0डी0 कारघा (केवल मिटटी तेल हेतु)	सौर, पूर्थी, सेचू, साहली, स[illegible] किलाड़ तथा धरवास ।

2. ति उप–मण्डल;(केवल विशेष परिस्थितियों में वाया रामपुर रास्ता बन्द होने की स्थिति में)

क्रम संख्या	केन्द्र का नाम जहां से ढुलान किया जाना है ।	गन्तव्य स्थान
1.	भारतीय खाद्य निगम वितरक केन्द्र कुल्लू/राज्य नागरिक आपूर्ति निगम थोक वितरण केन्द्र कल्लू ।	काजा, ताबो, हंसा तथा गुलींग ।
2.	भारतीय खाद्य निगम वितरक केन्द्र मण्ड़ी /सी0डब्ल्यू0सी0 गोदाम नेरचौक/राज्य नागरिक आपूर्ति निगम थोक वितरण केन्द्र लूणापानी/मण्ड़ी ।	काजा, ताबो, हंसा तथा गुलींग ।

निविदा की शर्ते :

मोहर बन्द निविदाओं के साथ 25,000 (पच्चीस हजार रूपये) की धरोहर राशि संलग्न करना आवश्यक है । धरोहर राशि के बिना निविदा अस्वीकार कर दी जायेगी । धरोहर राशि राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र /डाकधर बचत पास बुक/काल डिपोजिट या बैंक ड्राफट के रूप में जो अधोहस्ताक्षरी के पदनाम से प्रतिबन्धित होनी चाहिए । असफल निविदाकर्ताओं की धरोहर राशि शीघ्र ही वापिस कर दी जायेगी ।

सशर्त निविदा स्वीकार नही की जायेगी तथा निर्धारित तिथि/समय के उपरान्त कोई भी निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी ।

सफल निविदाकर्ता को सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रबन्धक, हि0 प्र0 राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के साथ 7 दिनों के भीतर इकरारनामा करना होगा तथा प्रत्येक को मु0 1,00,000(एक लाख) रूपये प्रतिभूति राशि राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र/डाकधर पास बुक के रूप में प्रतिबन्धित करवाकर जमा करवानी होगी ।

यदि सफल निविदाकर्ता निर्धारित अबधि तक सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रबन्धक, हि0 प्र0 राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के साथ अनुबन्ध करने में असफल रहता है तो उस द्वारा जमा धरोहर राशि को सरकार के पक्ष में बिना कारण बताओ नोटिस दिए जब्त कर लिया जायेगा

परिवहन दरें मुख्य वितरण केन्द्रो /हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के गोदामों से तुलाई, लदाई एवं गन्तव्य स्थान तक ढुलाई और वहां पर उतराई, तुलाई एवं ढांक लगाने सहित तथा यदि कोई सर्विस टैक्स देय हो तो उसके सहित दी जाये । इस कार्य के लिए परिवहन ठेकेदार को स्वंय ही वाहन एंव परिवहन मजदूरी का प्रबन्ध करना होगा ।

ठेकेदार को खाद्यान्न व अन्य आवश्यक वस्तुएं ग्रौस बजन में दी जायेगी तथा परिवहन किराये की अदायगी नैट वजन में की जायेगी । **परिवहन के दौरान रास्ते में आई कमी को ठेकेदार से नियन्त्रित मूल्य तथा खुले बाजार में प्रचलित दर के हिसाब से तुलनात्मक (अन्तर) मूल्य की राशि के दोगुने के हिसाब से वसूल किया जायेगा ।**

ठेकेदार को खाद्यान्न व आवश्यक वस्तुएं सही हालत में सौंपी जायेगी तथा उसी हालात में गन्तव्य स्थान पर सम्बन्धित गोदाम प्रभारी को सौंपनी होगी । खाद्यान्न एवं आवश्यक वस्तुएं नमी वाली नहीं ली जायेगी । अतः सम्बन्धित निविदाकर्ता नमी वाली वस्तुऐं प्राप्त न करें ।

सफल ठेकेदार को खाद्यान्नों/आवश्यक वस्तुओं का ढुलान निम्न सारणी अनुसार 15–10–2011 तक पूरा करना होगा तथा गन्तब्य स्थान तक 31–10–2011 तक पहुंचाकर रसीद प्राप्त करके 15–11–2011 तक सम्पूर्ण बिल अधिकारी को प्रस्तुत करने होगें ।

1.	जुलाई, 2011	कुल मात्रा का 20 प्रतिशत
2.	अगस्त ,2011	कुल मात्रा का 30 प्रतिशत
3.	सितम्बर,2011	कुल मात्रा का 35 प्रतिशत
4.	अक्तुबर, 2011	कुल मात्रा का 15 प्रतिशत

इसः समय सारणी के अनुसार कार्य अमल में न लाने पर प्रतिभूति राशि जब्त [illegible]ने के साथ अन्य वांछित कार्यवाही भी अमल में लाई जायेगी ।

9 ठेकेदार को गन्तव्य स्थान पर पहुंचाये गये स्टाक की परिवहन किराये की [illegible]दायगी 90 प्रतिशत की जायेगी तथा शेष 10 प्रतिशत राशि का भुगतान परिवहन कार्य पूर्ण [illegible]ने के बाद किया जायेगा । परिवहन बिल के साथ तोल सारणी/जी0आर0 ठेकेदार को [illegible]ग्न करनी होगी । खाद्यान्न प्राप्ति रसीद सम्बन्धित गोदाम प्रभारी से [illegible]कर उसे उप–मण्डलाधिकारी/सम्बन्धित द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होनी चाहिए ।

10 परिवहन ठेकेदार को सौंपी गई मात्रा गन्तव्य स्थानों पर एक सप्ताह के भीतर [illegible]पनी होगी ।

11 यदि ठेकेदार ढुलाई करने में असफल रहता है तो यह कार्य किसी अन्य ठेकेदा[illegible]ने करवाया जायेगा तथा अधिक परिवहन दरें/ खर्चे होगे तो प्रतिबन्धित ठेकेदार उन ख[illegible] को वहन करने के लिए उत्तरदायी होगा ।

12 प्रतिभूति राशि सम्बन्धित ठेकेदार को लेखा परीक्षा निरीक्षण के उपरान्त ही [illegible]ापिस की जायेगी । लेखा परीक्षण के दौरान ठेकेदार के विरूद्व कोई वसूली निकलती [illegible] तो उसे ठेकेदार को जमा करवाना होगा अन्यथा प्रतिभूति राशि में से वसुली कर दी जा[illegible] ।

13 परिवहन कार्य अधोहस्ताक्षरी/ अन्य विभागीय अधिकारियों /क्षेत्रीय प्रबन्धक [illegible] प्र0 राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के प्रतिनिधि के निर्देशानुसार ही करना होगा ।

14 आयकर की कटौती नियमानुसार समय–2 पर किराये के बिलों में से की जायेग[illegible]

15 आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई दरें प्रति क्विंटल के हिसाब से दी जाये जबकि मि[illegible] तेल की परिवहन दरें प्रति सौ (100) लीटर के हिसाब से टी0के0डी0 कारघा से पांगी उ[illegible]मण्डल के उक्त दर्शाए गए स्थानों के लिए दी जाये जिसमें टैंक, बेरल, टीन, जरीकेन इ[illegible]दि को ले जाना खाली लाना भी शामिल होगा ।

16 परिवहन ठेके के बारे यदि कोई वाद–विवाद उत्पन्न होता है तो मामला नि[illegible]ाक खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले हि0 प्र0 को निपटाने हेतू भेजा जायेगा [illegible]का निर्णय अन्तिम होगा ।

17 अनुमानित मात्रा मांग अनुसार बढाई–घटाई जा सकती है तथा विभिन्न [illegible]थानों की परिस्थितियों के अनुसार भेजी जा सकती है ।

18 अधोहस्ताक्षरी किसी भी निविदा को बिना कारण बताए स्वीकार/अस्वीकार कर [illegible]कते है ।

निदेशक खाद्य नागरिक आपूर्ति
उपभोक्ता मामले हि0 प्र0 शिमला [illegible]

7203
पृष्ठांकन संख्या एफ0डी0एस0–एच(एफ)(6) 25/96–11/–7/8 दिनांक शिमला 7 अप्रैल 2011

प्रतिलिपि;– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रधान सचिव, (खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले) हि0 प्र0 शिमला–2
2. प्रबन्ध निदेशक हि0 प्र0 राज्य नागरिक आपूर्ति निगम शिमला–9
3. समस्त उपायुक्त हि0 प्र0 ।
4. आवासीय आयुक्त पांगी जिला चम्वा ।
5. अतिरिक्त उपायुक्त काजा ।
6. संयुक्त निदेशक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले क्षेत्रीय कार्यालय धर्मशाला जिला कांगडा हि0 प्र0 ।
7. जिला नियन्त्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मण्ड़ी,कुल्लू,लाहौल स्पिति, चम्बा तथा किन्नौर को सूचनार्थ एवम आवश्यक कार्यवाही हेतु । उनसे अनुरोध है कि वह उक्त निविदा को सर्वसाधारण के सूचनार्थ नोटिस वोर्ड पर लगाए । इसके अतिरिक्त उक्त निविदा की निर्धारित तिथि के सम्वन्ध में गत वर्ष की भान्ति समस्त ठेकेदारों तथा हि0 प्र0 राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को भी उक्त निविदा के वारे में शीघ्र अवगत करवाए । निविदा की अन्य शर्तो आदि के सम्वन्ध में पूर्ण जानकारी हेतु विभाग की वैबसाईट www.himachal.nic.in//food पर सम्पर्क करें ।

निदेशक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता मामले हि0 प्र0 शिमला–9